

परियोजना का नाम:-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी राज्य मार्ग 34 से मालई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.420 हे० सिविल वन भूमि, एवं मकड़िस्पोजल हेतु 0.030 हे० कुल भूमि 0.450 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बड़ोतरी की जाती हैं तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अमीन

H.D.Singh

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

D.U.Singh

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

A.I.S

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

वन शेत्राधिकारी
धनबुट वन शेत्र (गौचर)

हे०/-

प्रभागीय वनाधिकारी